



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/3295/2023 दिनांक:-18.04.2023

सेवा में,



प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरात्तर सुधार लाने तथा प्राचार्य/शिक्षक/छाओं की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लगार निर्देश दिये जाते रहें। उक्त के सम्बन्ध में अंतिम रूप से पत्र संख्या सम्ब0/2796/2023 दिनांक 13.02.2023 द्वारा निदेशित किया गया था। परन्तु अद्यतन महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदन सम्बन्धी प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण कर पत्रावली विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो शासन/विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना है।

उपरोक्तानुसार पूर्व पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार अंतिम अवसर प्रदान करते हुये प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदन/नवीवीकरण सम्बन्धी पत्रावली नियमानुसार दिनांक 21.04.2023 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इसका कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय किसी भी कार्यवाही के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय

  
कुलसचिव  


प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षक-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त पटल प्रभारी, सम्बद्धन को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विषय-विशेषज्ञ गठन हेतु प्राप्त पत्रावली का परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रभारी बेव-साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट एवं महाविद्यालयों की लोगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव